न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः– जयप्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 17 / 2010 / रेफरेन्स

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर

प्रार्थी

बनाम

गंगाबक्स पुत्र मांगूराम जाति कुम्हार निवासी अजमेरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

वकील अप्रार्थी श्री महेश कुमार जांगिड़

निर्णय दिनांकः–15.10.2019

इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम अजमेरी के ख.नं. 516 रकबा 1.96 वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में श्री गंगा बक्स पुत्र श्री मांगूराम जाति कुम्हार निवासी अजमेरी के खातेदारी में दर्ज हैं। उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी पूर्व के राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन नदी नाला तालाब जोहड़ा की राज्य सरकार के नाम से दर्ज थी जिसको आवंटन के जरिये उपरोक्त खसरा नम्बर 516 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा में से श्री गंगाबक्स पुत्र श्री मांगू कुम्हार निवासी अजमेरी के नाम से आंवटन होकर गैर खातेदारी / खातेदारी श्री गंगाबक्स पुत्र श्री मांगू निवासी अजमेरी के नाम से दर्ज है। यह भूमि गलत रूप से आवंटन परामर्श दात्री समिति द्वारा दिनांक 01.01.68 को गलत रूप से नियमों के विपरीत आवंटन किया गया था। उपरोक्त भूमि राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में वर्णित है, जिसका आवंटन नियमन से खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है। उपरोक्त भूमि नियमन आवंटन के पश्चात आवंटी की विरासत में या विक्रय के पश्चात् चालू जमाबन्दी में श्री गंगा बक्स पुत्र श्री मांगूराम जाति कुम्हार निवासी अजमेरी के नाम से खातेदारी दर्ज है। अतः उपरोक्त भूमि खातेदार के नाम दर्ज खातेदारी में से हटाकर राज्य सरकार के पक्ष में वापिस दर्ज किया जाना न्याय संगत है।

रेफरेन्स आवेदन प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की और से वकील श्री महेश कुमार जांगिड़ उपस्थित आये। रेफरेन्स आवेदन का अवलोकन किया गया। रेफरेन्स आवेदन जिस आवंटन आदेश के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है उक्त आवंटन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है ना ही कोई दस्तावेज / जमाबंदियां प्रस्तुत की है, जिनसे भूमि की किस्म गैर मुमकिन नदी नाला तालाब जोहड़ा रिकॉर्ड पर प्रकट हो और तथ्यों की पुष्टि हों। रेफरेन्स प्रकरण अपूर्ण एवं सरसरी तौर पर दर्ज कराया गया है। अतः आवंटन आदेश एवं सम्पूर्ण दस्तावेजात पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से रेफरेन्स आवेदन इसी स्तर पर खारिज किया जाता है एवं प्रकरण हाल तहसीलदार श्रीमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण के सम्बंध में आवंटन आदेश की जांच करें तथा उपरोक्त आराजियात का अप्रार्थीगण के नाम से गलत आवंटन हुआ है तो सम्पूर्ण दस्तावेजात / आवंटन आदेश सहित पुनः रेफरेन्स आवेदन पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/10/19

(जयप्रकाश)

Web Copy - Not Official